

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं.14012/19/2013-अ.भा.से.-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, ओडिशा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि (तिथियों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	बिजय केतन उपाध्याय	2009	31.08.2011
2.	डी. प्रशांत कुमार रेड्डी	2009	31.08.2011
3.	गौरी पराशर	2009	31.08.2011
4.	जया कुमार वी.	2009	31.08.2011
5.	नूनसावथ त्रिरुमाला नायक	2009	31.08.2011


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)